

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण, परिवहन की रोकथाम तथा उसमें लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 25.02.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री गणेश कुमार गुप्ता द्वारा गठित टीम के उ०नि० शिवस्वरूप सिंह द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ राजू अहिरवार पुत्र रामस्वरूप उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक कपड़े के थैले में 27 अदद क्वार्टर देशी शराब ठेका नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 40/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० शिवस्वरूप सिंह
2. का० विकास सरोज

बरामदगी- एक कपड़े के थैले में 27 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजेन्द्र उर्फ राजू अहिरवार पुत्र रामस्वरूप उम्र करीब 40 वर्ष नि०मु० दाऊपुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में पुलिस लाइन महोबा में दंगा नियंत्रण/बलवा ड्रिल का किया गया अभ्यास-

आज दिनांक 26.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी लाइन श्री उमेश चन्द्र के नेतृत्व में रिजर्व पुलिस लाइन महोबा में सशस्त्र बल व पुलिस बल द्वारा संयुक्तरूप से बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। अभ्यास के दौरान समस्त अधिकारी व कर्मचारियों को दंगा निरोधी उपकरणों जैसे एन्टी राइट गन, रबर बुलेट, अश्रुगैस के गोले, ग्रेनेड, डंडा, हेलमेट, वॉडी प्रोटेक्टर, कैन्शील्ड, हैण्ड गार्ड/लेग गार्ड आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा कर उनको चेक करते हुए अल्प समय में इन उपकरणों से सुसज्जित होकर दंगा नियन्त्रण करने का अभ्यास कराया गया।

सभी को सदैव दंगा निरोधी उपकरणों से अल्प समय में ही सुसज्जित होने, साफ-सुथरी वर्दी धारण करने, पुलिस विभाग की गरिमा बनाये रखने हेतु सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश व हिदायत दी गयी।

इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक श्री सैन्यजीत सिंह सहित सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस कार्यालयों में नियुक्त अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित शांति अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में निर्देशन पर जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.02.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में अपराध निरीक्षक श्री लाखन सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 54/2023 धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि० से वांछित 01 नफर अभियुक्त बृजनन्दन कुशवाहा पुत्र परमलाल उम्र करीब 35 वर्ष को कुलपहाड़ बस स्टैण्ड से नियमानुसार गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.अपराध निरीक्षक श्री लाखन सिंह
- 2.का० प्रविन्द कुमार यादव 3.का० देवेन्द्र राजपूत

गिरफ्तार अभियुक्त-

बृजनन्दन कुशवाहा पुत्र परमलाल उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मु० गहरा पहाडिया हटवारा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

अभियुक्त ब्रजनन्दन उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

क्रं.सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	1208/11	13 जी एक्ट	कुलपहाड़	महोबा
2	38/21	13 जी एक्ट	कुलपहाड़	महोबा
3	174/21	457/380/411 भादवि	कुलपहाड़	महोबा
4	54/23	3(1) गैंगस्टर एक्ट	कुलपहाड़	महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने चोरी की घटना के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में निर्देशन पर जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.02.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बिनोद कुमार द्वारा गठित टीम उ०नि० अरविन्द कुमार उपाध्याय द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 67/2023 धारा 380 भादवि थाना कुलपहाड़ से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल पुत्र रामसिंह उम्र करीब 19 को मय उक्त घटना से सम्बन्धित चोरी किये गये 02 बोरा मूंगफली दाना को बरामद करते हुये हनुमान मन्दिर के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अनिल पुत्र रामसिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ.नि. अरविन्द कुमार उपाध्याय सिंह
- 2.हे०कां० कन्हैयालाल पटेल
- 3.का० विनय प्रताप सिंह

बरामदगी- 02 अदद बोरा में कुल 90 किलोग्राम मूंगफली दाना



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरपूर ।

आज दिनांक **26.02.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के **141** ई-चालान किये गये ।



महोबा पुलिस